न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–118 / 2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रमण कुमार साह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–335 / म0नि0को0 दिनांक–07.04.2019 से प्राप्त विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–30 / 19 दिनांक 02.02.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टेम्पु रजि0 नं0–BR07PA-3112 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित हुए और माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर करने एवं समय देने संबंधी आवेदन दाखिल किये। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को रात्रि गश्ती एवं छापामारी के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कैदराबाद में एक टेम्पु से शराब उतारा जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु कैदराबाद स्थित राम विलास यादव के घर के पास आये तो टेम्पु नम्बर BR07PA-3112 खड़ी थी तथा उससे तीन व्यक्ति मिलकर बोरा उतारकर राम विलास यादव के घर की ओर ले जा रहे थे। पुलिस गाड़ी को देखते ही तीनों व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। उक्त टेम्पु की तलाशी के क्रम में उसमें रखे प्लास्टिक के बोरे को खोलकर देखा गया तो उक्त बोरा में नेपाली शराब पाया गया। जिसे दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष बोरा से गौरव सौफी 300*ml* का 179 प्लास्टिक का सीलबंद बोतल बरामद हुआ। इस प्रकार उक्त वाहन टेम्पु से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वाहन विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवेदन दाखिल किया जा रहा है। इसलिए एक माह का समय दिया जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन टेम्पु सं0–BR07PA-3112 में रखे बोरा में से तलाशी के दौरान 300*ml* का 179 बोतल सीलबंद नेपाली शराब कुल 53.700 लीटर बरामद हुआ है, जिसे दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा	

भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवेदन दाखिल किया जा रहा है। इसलिए एक माह का समय दिया जाय। उनके द्वारा और कोई साक्ष्य अथवा कागजात दाखिल नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न वादों में निदेशित है कि अधिहरण वादों का निष्पादन शीघ्र किया जाना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–30/19 दिनांक 02.02.2019 में जब्त वाहन टेम्पु पंजीयन सं0–BR07PA-3112 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा